14/11/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की जमीन प्रार्थी से चिपती है, जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है। पानी-बिजली का बिल भी प्रार्थी के नाम से है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यदि खारिज होती है तो प्रार्थी को क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बाफैसला दावा कन्फर्म फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब कथन में कथन किए कि प्रश्नगत आराजी में से समस्त भूमि पर प्रार्थी/वादी का कब्जा न होकर 3.427 है. भूमि पर अप्रार्थी राजबाह का कब्जा है। प्रश्नगत आराजी के ख.न. 192/210 के कि.न. 11, 19 व 23 में एक नेतराम की घटरी, सिटेंडरी के दाह संस्कार स्थान व प्लाट बनी है। इस भूमि के बदले प्रार्थी के पिता को बदले में चक 8 SBN की 1.4 बीघा भूमि दी गई थी जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी राजबाह के नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म | हुक्म

विक्रय रजिस्ट्री बैनामा प्रार्थी/वादी ने
दर्ज की। विवादित रकबा स्थित ग्राम पली
अप्रार्थी राजबहादुर से विक्रय कर समस्त राशि प्रार्थी/वादी
लालचंद को विक्रय कर दी। जिसका सहभागी पत्र वादी/प्रार्थी
ने दायर कर दी की 12.06.08 को दिया हुआ है मय
हाथ दिनांक
प्रश्नगत आराजी में से 3.427 है भूमि पर अप्रार्थी
राजबहादुर का कब्जा है। अप्रार्थी अपनी इस आराजी
का खातेदार काश्तकार है जिसके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी नहीं की जा सकती अतः अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना
पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा प्रतिपादित बिन्दुओं-
प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय
क्षति पर विचारण किया गया।

प्रार्थी प्रश्नगत आराजी का रिकॉर्डेड टेनेन्ट है।
प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा होना
अभिकथित किया है जबकि अप्रार्थी राजबहादुर द्वारा प्रश्नगत
आराजी में से 3.427 है भूमि पर अपना कब्जा होना
बताया है। पत्रावली पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में वादग्रस्त
संपत्ति के संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है। प्रार्थी
खातेदार काश्तकार है। जिसे उसके खातेदारी अधिकारों से
वंचित नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा अभिकथित
कब्जा एवं उसके वैध होने के संबंध में निर्णय
दावे में आए साक्ष्य तय होगा है। अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज होने पर प्रार्थी जो कि खातेदार काश्तकार है, उसे
क्षति होना स्वाभाविक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर
न्यायहित में अस्थायी निषेधाज्ञा तामील दावा फैसला तक
आदेश कि की जाती है कि उभय पक्ष वाद के अंतिम
निस्तारण तक मौके [illegible] की यथास्थिति बनाए
रखें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो।

अधिकारी